भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरु मार्ग, (पुराना मिंटो रोड),
नई दिल्ली–110002

सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत

नियम पुस्तिका

अनुक्रमणिका

उप– खंड	ब्योरे	पृष्ठ संख्या
(i)	संगठन, कार्यकरणों तथा कर्तव्यों का ब्योरा	3 से 5
(ii)	भादूविप्रा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य	5 से 12
(iii)	पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया	12 और अनुलग्नक– क
(iv)	प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यकरणों के निवर्हन हेतु निर्धारित किए गए मानदंड	13
(v)	प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तिकाएं तथा अभिलेख	13
(vi)	प्राधिकरण के द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	13
(vii)	नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वियन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श करने के लिए, अथवा जनता के प्रतिनिधित्व के संबंध में मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण	13
(viii)	प्राधिकरण द्वारा गठित दो या अधिक सदस्यों के बोर्ड, परिषद्, समितियां तथा अन्य निकाय का विवरण। इसके साथ–साथ, यह जानकारी की क्या इन निकायों की बैठक में जनसाधारण भागीदारी कर सकती है अथवा क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृतों की जनसाधारण तक पहुंच है	भादूविप्रा पर लागू नहीं
(ix)	भादूविप्रा, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की दूरभाष निर्देशिका	14 से 22
(x)	प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी और इसके कर्मचारी को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक सहित इसके विनियम में क्षतिपूर्ति हेतु उपबंधित तंत्र का ब्योरा	22
(xi)	सभी आयोजनाओं, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए संवितरण पर रिपोर्ट को दर्शाते हुए प्राधिकरण की प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजट का ब्योरा	भादूविप्रा पर लागू नहीं
(xii)	आबंटित की गई धनराशि तथा ऐसे कार्यक्रमों तथा लाभार्थियों के ब्योरे को दर्शाते हुए राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का मामला	तदैव
(xiii)	छूटप्राप्तकर्ताओं, परमिटों अथवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों का ब्योरा	तदैव
(xiv)	प्राधिकरण के पास उपलब्ध, मौजूद, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखी गई जानकारी का ब्योरा	23
(xv)	जन उपयोग हेतु रखरखाव किए जा रहे ग्रंथालय अथवा वाचनालय के कार्य घंटे, यदि कोई हों तो, सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का	23

	ब्योरा	
(xvi)	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य ब्योरे	24
(xvii)	विहित की गई कोई अन्य जानकारी	24

पृष्ठभूमि

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दिनांक 28 मार्च, 1997 को ''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997'' (वर्ष 2000 में यथा संशोधित) के तहत स्थापित किया गया था।

यह अधिनियम दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, दूरसंचार क्षेत्र के सुचारू विकास का संवर्धन करने तथा सुनिश्चित करने के लिए और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए या प्रासंगिक मुद्दों के लिए दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करता है। वर्ष 2004 में प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्रों को भादूविप्रा के दायरे में लाया गया।

भादूविप्रा का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास के लिए एक उस गति से तथा पद्धति से परिस्थितियों का पोषण किया जाए जिससे भारत उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके।

भादूविप्रा का मुख्य उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत वातावरण उपलब्ध कराना है जो एक समान अवसरों को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष स्पर्धा को सुकर बनाता है।

उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसरण में, भादूविप्रा ने समय–समय पर, मुद्दों के समाधान के लिए बड़ी संख्या में नियम, आदेश और दिशा–निर्देश जारी किए हैं और भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक दिशा प्रदान की है।

जारी किए गए निदेशों, आदेशों और विनियमों में प्रशुल्क, अंतर्संयोजन और सेवा की गुणवत्ता सहित अनेकानेक विषयों को शामिल किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

(**i**) संगठन, इसके कार्यकरण और कर्तव्यों का ब्योरा

क. संगठन का ब्योरा

(भादूविप्रा अधिनियम की धारा 3)

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नामक संगठन की स्थापना दिनांक 28 मार्च, 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का चौबीसवां) (वर्ष 2000 में यथा संशोधित) के तहत की गई थी।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) प्राधिकरण एक अध्यक्ष, और दो से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों और दो से अनधिक अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

ख. प्राधिकरण के कृत्य
(भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11)

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे,–

(क) निम्नलिखित विषयों के संबंध में स्वप्रेरणा से या अनुज्ञापक के अनुरोध पर सिफारिशें करना, अर्थात्ः–

(i) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और उसका समय निर्धारण;

(ii) सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें;

(iii) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अननुपालन के लिए अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण;

(iv) दूर–संचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतियोगिता को सुकर बनाने और दक्षता वृद्धि के लिए उपाय करना जिससे कि ऐसी सेवाओं की अभिवृद्धि को सुकर बनाया जा सके;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में प्रौद्योगिकी सुधार;

(vi) नेटवर्क में उपयोग किए गए उपस्कर के निरीक्षण के पश्चात् सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर की किस्म;

(vii) दूर–संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दूर–संचार उद्योग के संबंध में साधारणतया अन्य विषय के लिए उपाय;

(viii) उपलब्ध परिदृश्य का दक्षतापूर्ण प्रबंधन।

(ख) निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करना, अर्थात् ः–

(i) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ii) दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ से पूर्व प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी सेवा प्रदाताओं के बीच अन्तः सम्बद्धता के निबंधन और शर्तें नियत करना;

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अन्तःसंबंध सुनिश्चित करना;

(iv) सेवा प्रदाताओं के बीच दूर–संचार सेवाएं उपलब्ध कराने से व्युत्पन्न उनकी आमदनी को बांटने संबंधी व्यवस्था का विनियमन करना;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की क्वालिटी के मानक अधिकथित करना और सेवा की क्वालिटी सुनिश्चित करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना जिससे कि दूर–संचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किया जा सके;

(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूर–संचार के स्थानीय और लंबी दूरी वाले सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि अधिकथित करना और सुनिश्चित करना;

(vii) अंतःसम्बन्धित करारों का और सभी ऐसे अन्य विषयों के ऐसे रजिस्टर रखना जो विनियमों में उपबंधित किए जाएं;

(viii) खंड (vii) के अधीन रखे गए रजिस्टर को ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर जो विनियमों में उपबंधित की जाएं, जनता के किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रखना;

(ix) सर्वव्यापी सेवा बाध्यताओं का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) ऐसी सेवाओं के संबंध में फीस और अन्य प्रभार ऐसी दरों पर उद्गृहीत करना जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जिनके अंतर्गत ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कृत्य भी हैं, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो:

परंतु इस उपधारा के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार पर आबद्धकर नहीं होंगी:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार किसी सेवा प्रदाता को जारी की जाने वाली नई अनुज्ञप्ति की बाबत इस उपधारा के खंड (क) के उपखंड(i) और (ii) में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत प्राधिकरण से सिफारिशों की ईप्सा करेंगी और प्राधिकरण अपनी सिफारिशें उस तारीख से, जिसकी केन्द्रीय सरकार सिफारिशों की ईप्सा करती है, 60 दिन की अवधि के भीतर अग्रेषित करेगा:

परंतु यह भी कि प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार से ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो इस उपधारा के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन सिफारिश किए जाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से सात दिन की अवधि के भीतर ऐसी जानकारी का प्रदाय करेगी:

परंतु यह भी कि यदि दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार और प्राधिकरण के बीच आपस में करार पाई जाए प्राधिकरण से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं होती है तो केन्द्रीय सरकार किसी सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगी:

परंतु यह भी कि यदि केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को उस सिफारिश पर विचार करने पर प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसी सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकती या उसमें उपांतरण आवश्यक है, तो वह सिफारिश को प्राधिकरण को वापस पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी और प्राधिकरण ऐसे निर्देश की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित कर सकेगा और सिफारिश के, यदि कोई हो, प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अंतिम विनिश्चय करेगी।

(2) भारतीय तार, अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण समय–समय पर, आदेश द्वारा उन दरों को राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगा, जिन पर भारत में और भारत के बाहर दूर–संचार सेवाएं इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके अंतर्गत वे दरें भी हैं, जिन पर संदेशों को भारत के बाहर किसी देश को पारेषित किया जाएगा:

परंतु प्राधिकरण एक समान दूर–संचार सेवाओ ंकी बाबत भिन्न–भिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए भिन्न–भिन्न दरें अधिसूचित कर सकेगा और जहां पूर्वोक्त रूप में भिन्न–भिन्न दरें नियत की जाती हैं वहां प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के विरुद्ध कृत्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

(**ii**) भादूविप्रा के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य

क. जानकारी मांगने, अन्वेषण करने आदि की प्राधिकरण की शक्तियां

(भादूविप्रा अधिनियम की धारा 12)

(1) जहां प्राधिकरण ऐसा करना समीचीन समझता है वहां वह लिखित आदेश द्वारा, –

(क) किसी सेवा प्रदाता से किसी भी समय लिखित रूप में अपने कार्यकलाप से संबंधित ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकेगा जो प्राधिकरण अपेक्षा करे; या

(ख) किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलाप से संबंधित कोई जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और

(ग) किसी सेवा प्रदाता की लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी को निदेश दे सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलापों के संबंध में कोई जांच की गई है वहां, –

(क) यदि ऐसा सेवा प्रदाता सरकार का कोई विभाग है तो सरकारी विभाग का प्रत्येक अधिकारी; या

(ख) यदि ऐसा सेवा प्रदाता कोई कंपनी है तो प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(ग) यदि ऐसा सेवा प्रदाता कोई फर्म है तो प्रत्येक भागीदारी, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(घ) ऐसा प्रत्येक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसका खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के साथ कारबार अनुक्रम में संबंध रहा था,

जांच करने वाले प्राधिकरण के समक्ष अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में की ऐसी सभी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज, जो ऐसी जांच की विषय–वस्तु से संबंधित है, पेश करने के लिए और प्राधिकरण को, यथास्थिति, उससे संबंधित, ऐसा विवरण या जानकारी भी, जिसकी उससे अपेक्षा की जाए, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, देने के लिये आबद्ध होगा।

(3) प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज रखेगा जो विहित किए जाएं।

(4) प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं को ऐसे निदेश देने की शक्ति होगी, जो वह सेवा प्रदाताओं द्वारा उचित कृत्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

ख. निदेश देने की प्राधिकरण की शक्ति

(भादूविप्रा अधिनियम की धारा 13)

प्राधिकरण धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, सेवा प्रदाताओं को, समय–समय पर, ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझेः

परंतु धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन या इस धारा के अधीन कोई निदेश धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट विषयों के सिवाय जारी नहीं किया जाएगा।

ग. प्राधिकरण, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्त्तव्य

प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा।

प्राधिकरण एक अध्यक्ष, और दो से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों और दो से अनधिक अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्तियां होंगी और वह प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित की जाएं।

अध्यक्ष महोदय का कार्यालय – श्री आर0 एस0 शर्मा, अध्यक्ष

अध्यक्ष की सहायता के लिए श्री प्रकाश किर्तानी, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और एक वैयक्तिक सहायक हैं।

सदस्यगण का कार्यालय – रिक्त

सदस्यगणों की सहायता के लिए श्री रघुबीर सिंह, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और एक वैयक्तिक सहायक हैं।

सदस्यगण का कार्यालय – श्री एच0 प्रदीप राव

सदस्यगण की सहायता के लिए श्री वीरेन्द्र मखीजा, प्रधान निजी सचिव और एक निजी सचिव हैं।

अंशकालिक सदस्यगण – प्रोफेसर अभय करंदीकर

अंशकालिक सदस्य – डॉ0 ममदाला जगदीश कुमार

सचिव

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मुखिया सचिव महोदय होते हैं जोकि, सात कार्यात्मक प्रभागों यथा –नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल), प्रसारण और केबल सेवाएं (बी एंड सीएस), उपभोक्ता मामले (सीए), सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए), विधिक प्रभाग, प्रौद्योगिकी विकास (टीडी), सामान्य प्रशासन (जीए) के माध्यम से कार्य करता है। सचिव महोदय, निर्धारित नियमों के अनुसार जनशक्ति आयोजन, उनकी तैनाती, प्रोन्नति, स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में देखरेख करते हैं। वह मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। प्राधिकरण के विचार के लिए सभी प्रस्तावों को सचिव के माध्यम से संसाधित किया जाता है। सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय के परामर्श से प्राधिकरण की बैठक के लिए कार्यसूची पत्रों को तैयार करने तथा जारी करने हेतु समन्वय करते हैं। वे प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत तैयार करने तथा विनियमों/ दिशा–निर्देशों/ दिशानिर्देश को जारी करने की व्यवस्था करते हैं।

सचिव महोदय का कार्यालय – श्री सुनील कुमार गुप्ता, सचिव

सचिव महोदय की सहायता श्री पी0 ओ0 अब्राहम, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्रीमती पूनम खुराना, निजी सहायक, पीएस, श्री एस0 के0 दुआ, संयुक्त सलाहकार (समन्वय) और सीपीआईओ, श्री आई0 जोसेफ

मनोहरन, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समन्वय) और केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी, दो अनुभाग अधिकारी और दो सहायक करते हैं।

सामान्य प्रशासन प्रभाग

सामान्य प्रशासन प्रभाग के मुखिया, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (प्रशासन) हैं। वे सभी प्रशासनिक और कार्मिक संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की आयोजना और नियंत्रण करना शामिल है साथ ही भादूविप्रा द्वारा जारी सभी विनियमों/ निदेशों/ आदेशों को लागू करने के लिए जानकारी की समन्वित उपलब्धता भी शामिल है। सामान्य प्रशासन प्रभाग पर एएंडपी अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, वित्त अनुभाग, ग्रंथालय, एमआर एंड आरटीआई अनुभाग, ओएल अनुभाग, पीआर अनुभाग, आईआर अनुभाग के क्रियाकलापों के प्रबंधन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/ निकायों जैसे आईटीयू, एपीटी, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक, एसएटीआरसी, ओईसीडी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकायों के साथ समन्वय करना शामिल हैं। इस प्रभाग के अध्यक्ष महोदय प्रबंधन के प्रतिनिधि के रूप में आईएस/ आईएसओ 9001: 2008 के तहत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की समन्वित प्रबंधन समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। सलाहकार (प्रशासन) सूचना का अधिकार अधिनियम की विविधा धाराओं तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्य संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भादूविप्रा में पारदर्शिता अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। यह प्रभाग मीडिया संबंधों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी काम करता हैः अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय निकायों तथा भर्ती, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित मानव संसाधन, भादूविप्रा के कार्यालय हेतु आवास, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, आईएसओ, कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामले, खुला मंच चर्चाएं आयोजित करने/ संगोष्ठियां आदि, सूचना का अधिकार, क्षेत्रीय कार्यालयः समन्वय और प्रशासन से संबंधित सभी अन्य मामलों पर भी कार्यवाही करता है।

सलाहकार महोदय को निम्नवत अधिकारीगण सहायता प्रदान करते हैं :–

श्री ए0 पाण्डेय, संयुक्त सलाहकार (संचार एवं जनसंपर्क), श्रीमती सपना शर्मा, संयुक्त सलाहकार (आईआर), श्री अनुराग शर्मा, उप सलाहकार (मानव संसाधन), श्री आनंद प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (पीआर), श्रीमती पी0 आर0 चावला, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ग्रंथालय) श्री मनीष नेगी, तकनीकी अधिकारी (ए एंड पी) श्री के0 एम0 सिंह, उप सलाहकार (सामान्य प्रशासन), श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन), आई0 जे0 मनोहरन, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईआर) श्री आर0 रामानुजम, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वित्त), श्री प्रवीण सक्सेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन), श्रीमती पी. जानकी तकनीकी अधिकारी (एम आर एवं आरटीआई), श्री रजत कुमार शर्मा, तकनीकी अधिकारी (आईआर)

सामान्य प्रशासन विभाग में चार अनुभाग अधिकारी, पन्द्रह सहायक, एक रोकड़िया, दो निजी सहायक, सहायक, पांच अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी), एक सवार हरकारा और एक फोटोकश्पी मशीन अश्परेटर शामिल हैं।

प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवा प्रभाग (बीएंडसीएस)

प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवा प्रभाग, अंतर्संयोजन, सेवा की गुणवत्ता और प्रशुल्क पहलुओं को शामिल करते हुए प्रसारण और केबल टेलीविजन क्षेत्र हेतु समग्र विनियामक ढ़ांचा निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रभाग, प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र के आधुनिकीकरण/ डिजिटाइजेशन से संबंधित मुद्दों की जांच करने और टीवी, रेडियो प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्रों में विभिन्न सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा जारी लाइसेंस/ अनुमतियों से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों तथा निबंधन और शर्तों पर सरकार को सिफारिशें देने के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण को उद्योग के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए उपायों से संबंधित सलाह भी देता है।

इसके अलावा, यह प्रभाग, सरकार द्वारा सौंपे गए प्रसारण क्षेत्र से संबंधित किसी अन्य कार्य पर प्राधिकरण को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है।

इस प्रभाग की अध्यक्षता श्री देबकुमार चक्रवर्ती, प्रधान सलाहकार, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) और श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बी और सीएस) और निम्नलिखित अधिकारी करते हैं :–

श्री वी.के.अग्रवाल, संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस), श्री एस0 एम0 के0 चन्द्रा, संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस), श्री जीएस केसरवानी, उप सलाहकार (बी एंड सीएस), श्री ए0 के0 मिश्रा, उप सलाहकार (बी एंड सीएस), श्रीमती शिवानी शर्मा, उप सलाहकार (बी एंड सीएस), श्री अनिल कुमार पाठक, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बी एंड सीएस), श्री सुमित हेमराजानी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बी एंड सीएस), और श्री ज्ञान चंद टुटेजा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बी एंड सीएस)।

बी और सीएस प्रभाग में एक तकनीकी अधिकारी, दो अनुभाग अधिकारी, एक वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, एक निजी सचिव, एक वैयक्तिक सहायक, और दो सहायक हैं।

उपभोक्ता मामले और सेवा की गुणवत्ता प्रभाग (सीए एंड क्यूओएस)

उपभोक्ता मामले और सेवा की गुणवत्ता प्रभाग (सीए एंड क्यूओएस) प्रभाग की अध्यक्षता श्री सुनील बाजपेयी, प्रधान सलाहकार (सीए एंड क्यूओएस) करते हैं। यह प्रभाग निम्नवत हेतु उत्तरदायी है –

- भादूविप्रा में प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों का सेवा प्रदाताओं द्वारा निपटान करने के लिए एक ढ़ांचे तैयार करना;
- उपभोक्ता शिक्षा;
- उपभोक्ता पक्ष समर्थन समूहों का पंजीकरण और उनके साथ बातचीत;

- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपाय करना;
- सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना, विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा निष्पादित सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय करना;
- अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को रोकने के उपाय करना तथा टेलीमार्केटियर्स का पंजीकरण करना;
- अंतर्संयोजन करारों के रजिस्टर का रखरखाव करना;
-

श्री सुनील बाजपेयी, प्रधान सलाहकार (सीए और क्यूओएस) और आईटी प्रभार को श्री असित कादयान (क्यूओएस) और श्री संजीव बांजल, सलाहकार (सीए और आईटी) सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रभाग में निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सहयोग किया जाता है:

श्री शाजी अब्राहम, संयुक्त सलाहकार (क्यूओएस), लेफ्टिनेंट कर्नल विजय शर्मा, संयुक्त सलाहकार (क्यूओएस), श्री के0 चन्द्र चूड़, संयुक्त सलाहकार (सीए), श्री जी0 एस0 पंवार, उप सलाहकार (सीए), श्री सुरेंद्र सिंह, उप सलाहकार (क्यूओएस), श्री विदीप कुमार अंतीवाल, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (टीडी), श्री एस एन हाश्मी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (क्यूओएस), श्री संजय कुमार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सीए) और श्री मौली मुखोपाध्याय, निजी सचिव।

सीए और क्यूओएस प्रभाग में एक तकनीकी अधिकारी, दो अनुभाग अधिकारी, दो निजी सचिव, छह सहायक और दो निजी सहायक हैं।

वित्त और आर्थिक विश्लेषण प्रभाग (एफएंडईए)

वित्त और आर्थिक विश्लेषण प्रभाग (एफएंडईए) की अध्यक्षता श्री एस0 के0 मिश्रा, प्रधान सलाहकार (एफएंडईए) करते हैं। यह प्रभाग सभी आर्थिक विश्लेषणों, दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क नीति तैयार करने, दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का निर्धारण और निगरानी करने, सब्सक्रिप्शन डॉटा पर मासिक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने, भारतीय दूरसंचार सेवाओं के निष्पादन सूचकांकों पर तिमाही रिपोर्ट तैयार करने, लेखांकन पृथ्थकीकरण विनियम तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुपालन सहित वित्तीय विश्लेषण से संबंधित कार्य करता है।

श्री एस के मिश्रा, प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए) को श्री कौशल किशोर, सलाहकार (एफ एंड ईए –1) और निम्नलिखित अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं: –

ग्रुप कप्तान आर.के. जोशी, संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए), श्री के0 वी0 सेबस्टियन, संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए), श्री अनिल के0 ढ़ींगरा, संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए– II), श्री विजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एफ एंड ईए), श्री के0 के0 पांण्डेय, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एफ एंड ईए), श्रीमती मीतू गुलाटी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एफए)

एफ एंड ईए प्रभाग में दो अनुभाग अधिकारी, एक प्रधान निजी सचिव, छह सहायक और तीन निजी सहायक पदभार ग्रहण किए हुए हैं।

विधिक प्रभाग

विधिक प्रभाग की अध्यक्षता श्री राजीव रंजन तिवारी (विधिक) करते हैं। यह प्रभाग प्राधिकरण को सभी विनियामक मुद्दों पर कानूनी सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। कानूनी सलाह देने, विधायी प्रस्ताव तैयार करने, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, टीडीसैट में प्रकरणों की निगरानी करना और अन्य न्यायिक और अर्ध न्यायिक और सांविधिक विनियमों, आदेशों और निदेशों का विधिक पुनरीक्षण करने सहित विधिक दायित्वों वाले सभी मामलों पर विधिक प्रभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

श्री राजीव रंजन तिवारी, सलाहकार (विधिक), की सहायता श्री एस.बी. सिंह, संयुक्त सलाहकार (विधिक), श्री जे0 के0 मिश्रा, संयुक्त सलाहकार (विधिक), श्रीमती रीवी जे0 जैकब, तकनीकी अधिकारी (विधिक) करते हैं।

विधिक प्रभाग में एक निजी सचिव, चार सहायक और एक वैयक्तिक सहायक भी कार्यरत हैं। इसके अलावा, दो रिसर्च एसोशियेट अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं।

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग प्रभाग (एनएसएल)

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग प्रभाग (एनएसएल) की अध्यक्षता श्री यू0 के0 श्रीवास्तव प्रधान सलाहकार करते हैं और यह प्रभाग स्पेक्ट्रम प्रबंधन, स्पेक्ट्रम की लेखापरीक्षा, मोबाइल सेवाएं और फिक्स्ड लाइन नेटवर्क, अंतर्संयोजनः तकनीकी और वाणिज्यिक मुद्दों, एनएलडी, आईएलडी, लाइसेंसिंगः नीतिगत और अनुपालन, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी), त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट/ यूएसओ दायित्व, रेडियो पेजिंग, पीएमआरटीएस, वीसैट, जीएमपीसीएस आदि, ब्रश्डबैंडः वायरलॉइन और वायरलेस हेतु उत्तरदायी है।

प्रधान सलाहकार (एनएसएल) की सहायता श्री एस0 के0 सिंघल, सलाहकार (बीबी एंड पीए) और श्री एस0 टी0 अब्बास, सलाहकार (एनएसएल –II) और निम्नलिखित अधिकारी करते हैं: –

लेफ्टिनेंट कर्नल भारत गुप्ता, संयुक्त सलाहकार (बीबी एंड पीए), श्री विनोद कुमार, संयुक्त सलाहकार (एनएसएल–I), कर्नल कपिल हांडा, संयुक्त सलाहकार (एनएसएल– I), श्री आर0 के0 सिंह, संयुक्त सलाहकार (एनएसएल– I), श्री जयपाल सिंह तोमर, संयुक्त सलाहकार (एनएसएल– II), ग्रुप कप्तान शाजी पुन्नोस, संयुक्त सलाहकार (एनएसएल– II), श्रीमती रचना माथुर, उप सलाहकार (एनएसएल– II), श्रीमती सोनिया मदान, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एनएसएल – II), श्री अशोक सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एनएसएल –II), श्री विनय अग्रवाल, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एनएसएल– I), श्री आलोक वोहरा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एनएसएल– I).

एनएसएल प्रभाग में दो तकनीकी अधिकारी और दो अनुभाग अधिकारी, दो निजी सचिव, एक प्रधान निजी सचिव, चार सहायक और दो निजी सहायक शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग (आईटी)

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग की अध्यक्षता प्रधान सलाहकार करते हैं और वर्तमान में इस प्रभाग के प्रभारी श्री सुनील बाजपेयी, प्रधान सलाहकार (सीए, क्यूओएस और आईटी) हैं और इस इकाई से संबंधित क्रियाकलापों के समग्र नियोजन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। टीडी प्रभाग, दूरसंचार में पर्यावरणीय मुद्दों, अवसंरचना प्रबंधन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित मामलों, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिसरण से संबंधित मुद्दोंः ब्रश्डबैंड, इंटरनेट, आईपीवी 6, आईपीटीवी, सीनीय और दूरस्थ स्थित सर्वरों सहित सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का प्रबंधन करना, एनजीएन और प्रौद्योगिकी के विकास में नवीनतम रुझानों से अवगत रहने से संबंधित कार्य करता है।

श्री सुनील बाजपेयी, प्रधान सलाहकार (सीए एंड क्यूओएस) और आईटी प्रभाग की सहायता श्री संजीव बांजल, सलाहकार (सीए और आईटी), सुश्री अर्चना अहलावत, संयुक्त सलाहकार (आईटी), और श्री राजीव जैन संयुक्त सलाहकार, (आईटी) और निम्नलिखित सहायक कर्मचारी करते हैं –

संजय त्यागी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईटी) और श्री मौली मुखोपाध्याय, निजी सचिव।

आईटी प्रभाग में एक अनुभाग अधिकारी, एक निजी सचिव, एक सहायक और एक व्यैक्तिक सहायक भी कार्यरत हैं।

परिचर, ड्राइवर, पीसीएम अश्परेटर, और सवार हरकारा के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई हैः –

8. परिचर – 5
2. ड्राइवर – 13
3. पीसीएम अश्परेटर – 2
4. सवार हरकारा – 1

(**iii**) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया

प्रभागों में अधिकारियों तथा सलाहकारों को मुद्दों तथा संदर्भों का विश्लेषण करने, और डाटाबेसों, रिपोर्टों तथा नियमों/ विनियमों, जैसा लागू हो, के आधार पर मुद्दों का विश्लेषण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। सलाहकार अपने प्रभाग के कामकाज के लिए सचिव महोदय के प्रति

जवाबदेह हैं। जहां भी आवश्यक हो, परामर्शदाताओं (कन्सल्टेंट) की भी सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। सचिव महोदय, सभी बारह प्रभागों के समग्र कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं और भादूविप्रा के सचिवालय को अपने कार्यों का निर्वहन करने और नीतिगत फेसले लेने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। प्राधिकरण अपने कार्यों के निवर्हन में कार्य संचालन हेतु भादूविप्रा की बैठकों संबंधी विनियमन, 1999 के अनुसार आयोजित की गई बैठेकों के माध्यम से अपने कार्यों का निर्वहन करता है।

प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले दायित्वों से संबंधित सिफारिशों, निदेशों और आदेशों को अध्ययनों के आधार पर, सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ता पक्ष समर्थन समूहों आदि के प्रतिनिधियों के साथ की गई परामर्श प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाता है। पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों को संलग्न–क में दिए संगठनात्मक चित्र में दर्शाया गया है।

(**iv**) प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यकरणों के निवर्हन हेतु निर्धारित किए गए मानदंड

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अध्याय– तीन में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों तथा कृत्यों के अनुरूप अपने कार्यकरणों का निर्वहन करता है।

(v) प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन अथवा इसके द्वारा उपयोग किए गए नियमों, विनियमों, अनुदेशों, नियम पुस्तिकाएं तथा अभिलेख

भादूविप्रा परामर्श पत्रों, आदेशों/ निर्देशों, सिफारिशों, और विनियमों के माध्यम से कार्य करता है, जिनका ब्योरा भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(**vi**) प्राधिकरण के द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

भादूविप्रा द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों से जुड़ी जानकारी उपर्युक्त क्रम संख्या (v) के समान और निम्नानुसार हैः

8. विभिन्न सेवाओं की निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट
2. सेवा की गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्ट
3. स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता के संबंध में भादूविप्रा द्वारा की गई आवधिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट
4. अंतर्संयोजन करार का रजिस्टर
5. लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की नियम पुस्तिका
6. भादूविप्रा की वार्षिक रिपोर्ट
7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
8. भादूविप्रा की गुणवत्ता नियम पुस्तिका – आईएस/ आईएसओ 9001: 2008

(**vii**) नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श करने के लिए, अथवा जनता के प्रतिनिधित्व के संबंध में मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण

सिफारिशें, निदेश आदि परामर्श प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, जहां सभी हितधारकों जैसे सेवा प्रदाता, विशेषज्ञ, उपभोक्ता संगठन आदि के मत और दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, भादूविप्रा आम हित के मुद्दों पर आम जनता/उपभोक्ताओं की शिकायतों/ अभ्यावेदनों का समाधान करता है। विशिष्ट मुद्दों पर परामर्श के संबंध में बड़े ाॅहरों में खुला मंच चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। इसी प्रकार से, उपभोक्ताओं के हितों के समाधान के लिए उपभोक्ता पक्ष समर्थन समूहों की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(**ix**) भादूविप्रा, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की दूरभाष निर्देशिका

भादूविप्रा की दूरभाष निर्देशिका

अध्यक्ष महोदय का कार्यालय

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	आर0 एस0 शर्मा	अध्यक्ष	23211236 23213409
2	प्रकाश किर्तानी	वरिश्ठ प्रधान निजी सचिव	23211236 23213409
3	फूल सिंह चौधरी	निजी सचिव	23211236 23213409
4	मंजीत सिंह	पीसीएमओ	23211236 23213409

सदस्यगण(क) का कार्यालय

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	रिक्त	सदस्यगण	23221159 23211063
2	रघुबीर सिंह	वरिश्ठ प्रधान निजी सचिव	23221159 23211063
3	रिक्त	वैयक्तिक सहायक	-
4	सुधीर कुमार	परिचर	-

सदस्यगण (आर) का कार्यालय

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	एच0 प्रदीप राव	सदस्यगण	23211833 23211899
2	वीरेंद्र मखीजा	प्रधान निजी सचिव	23211833 23211899
3	राजेश वत्स	निजी सचिव	23664309
4	राजेन्द्र	परिचर	23664309

सचिव महोदय का कार्यालय

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	**एस0 के0 गुप्ता**	सचिव	23237448 23211847
2	**पी0 ओ0 अब्राहम**	वरिश्ठ प्रधान निजी सचिव	23237448 23211847
3	**पूनम खुराना**	निजी सचिव	23237448 23211847
4	**एस.के. दत्ता**	संयुक्त सलाहकार (समन्वय)	23664503
5	**आई0 जोसेफ मनोहरन**	वरिश्ठ अनुसंधान अधिकारी (समन्वय)	23664220
6	**आर0 वी0 गोपाल**	अनुभाग अधिकारी (समन्वय)	23664147
7	**रमा बावा**	अनुभाग अधिकारी (समन्वय)	23664221
8	**सतीष कुमार**	सहायक (समन्वय)	23231929 23664530

प्रशासन और कार्मिक (एएंडपी)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय

	श्री / श्रीमती		दूरभाष नम्बर
1	संजीव कुमार शर्मा	सलाहकार (क)	23236119
2	संजय कुमार	निजी सचिव	23664210
3	अनुराग शर्मा	उप सलाहकार (मानव संसाधन)	23664189
4	रिक्त	वरिश्ठ अनुसंधान अधिकारी (एएंडपी)	23664213
5	मनीष नेगी	तकनीकी अधिकारी (एएंडपी)	23664554
6	ए0 के0 झा	सहायक	23664216
7	अजय कुमार	सहायक	23664215
8	कुंदन कुमार –**II**	सहायक	23664614
9	आर0 एस0 रावत	सहायक	23664223
10	अरुण कुमार वोहरा	सहायक	23664205
11	अनीता	वैयक्तिक सहायक	23664518

सामान्य प्रशासन (जीए)

क्रम संख्या	अधिकारी / कर्मचारी का नाम श्री / श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	के0 एम0 सिंह	उप सलाहकार (सामान्य प्रशासन)	23211669
2	नरेंद्र कुमार शर्मा	एसआरओ (सामान्य प्रशासन)	
3	प्रवीण सक्सेना	एसआरओ (सामान्य प्रशासन)	23664686
4	कैलाश पुजारी	अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन)	23664142
5	अशोक राजा दौड़ियाल	अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन)	23664150
6	सुमित नाग	सहायक	23664149
7	देवेंद्र कुमार	सहायक	23664148
8	के0 श्रवण	सहायक / केयर टेकर	23664403
9	भरत	अवर श्रेणी लिपिक	23664403

10	ममता	परिचर	23664686

{सामान्य प्रशासन (जीए) अनुभाग का प्राप्तियां और निर्गम (आर एंड आई तथा स्वागत कक्ष)}

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
11	सती रामकृष्णन	सहायक/स्वागत कक्ष	23664145
12	सुरेंद्र	अवर श्रेणी लिपिक	23664616
13	लक्ष्मण सिंह	पीसीएमओ	23664617
14	शंकर दोणे	डिस्पैच राइडर	-

वित्त अनुभाग

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	आर0 रामानुजम	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वित्त)	23233604
2	किशन कुमार	रोकड़िया	23664112
3	सुनील कुमार	सहायक	23664113
4	अवतार सिंह	परिचर	23664

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आई आर)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	सपना शर्मा	संयुक्त सलाहकार	23235161
2	आई0 जोसेफ मनोहरन	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664220
2	रजत कुमार शर्मा	तकनीकी अधिकारी	23664650
3	किरनदीप आहूजा	सहायक	23664550

पुस्तकालय

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	प्रकाश रानी चावला	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664187

2	ओम प्रकाश गिरि	ड्राइवर	23664204
3	उर्मिला नेगी	परिचर	23664204

(संचार और पीआर)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	ए0 के0 पाण्डेय	संयुक्त सलाहकार (मीडिया)	23664257
2	आनंद प्रकाश	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664217
3	दिनेश सिंह धनिक	तकनीकी अधिकारी	23664218
4	पवन कुमार विज	सहायक	23664318
5	श्वेता सिंह	अनुसंधान सहयोगी	23664

(एमआर और आरटीआई)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	एस0 के0 दत्ता	संयुक्त सलाहकार/ के.लो.सू. अधिकारी	23664503
2	आई0 जे0 मनोहरन	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/के.स.लो.सू. अधिकारी	23664220
3	पी0 जानकी	तकनीकी अधिकारी (एमआर और आरटीआई)	23664238
4	अशोक आर0 ढौंढियाल	अनुभाग अधिकारी (एमआर/ आरटीआई)	23664150
5	सावित्री पोखरियाल	सहायक	23664539

राजभाषा (ओएल)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	अंजु कंडवाल	अनुभाग अधिकारी (राजभाषा)	23664180
2	ए0 आई0 खान	सहायक	23664609

(एफ एंड ईए) प्रभाग

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	शैलेंद्र कुमार मिश्रा	प्रधान सलाहकार	23221856
2	संजीत सिंह	सलाहकार	23220020
3	सुशील कुमार	वैयक्तिक सहायक	
4	लक्ष्मी नारायण	प्रधान निजी सचिव	23664140
5	कौशल किशोर	सलाहकार	23230752
6	आर.के. जोशी	सयुंक्त सलाहकार	
7	शालिनी कटोच	निजी सचिव	23230752
8	के वी0 सेबेस्टियन	सयुंक्त सलाहकार	23214376
9	ए0 के0 डींगरा	सयुंक्त सलाहकार	23235251
10	सुरेंद्र चावला	परामर्शमदाता	
11	एलेक्जेंडर थॉमस	उप सलाहकार	
12	के.के. पांडे	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664212
13	मीतू गुलाटी	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664652
14	वी.के. मिश्रा	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664505
15	शुभा सिन्हा	तकनीकी अधिकारी	23664122
16	बालू जी0 अय्यर	अनुभाग अधिकारी	23664233
17	मोहिंदर सिंह	अनुभाग अधिकारी	23664232
18	कुंदन कुमार – **I**	सहायक	23664215
19	अरविंद कुमार	सहायक	23664121
20	अमित भारद्वाज	सहायक	23664181
21	चंद्र प्रकाश कलवानी	सहायक	23664653
22	मनीषा डोगरा	स्हायक	
23	गीता पुजारी	वैयक्तिक सहायक	23664186
24	तान्या	आरए	23664559
25	शिवांग वर्मा	आरए	23664175
26	कंचन बहल	आरए	23664185

नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	यू.के. श्रीवास्तव,	प्रधान सलाहकार	23233291
2	जितेंद्र कपूर	प्रधान सलाहकार के प्रधान निजी सचिव	23233291

(एनएसएल – **I**)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	राजेंद्र कुमार सिंह	संयुक्त सलाहकार	
2	विनोद कुमार	संयुक्त सलाहकार	23664254
3	राजेश नारायण	तकनीकी अधिकारी	23664105
4	शैलेश	तकनीकी अधिकारी	23664537
5	डौली	पीएस	23664510
6	सतीश चंद्र शर्मा	सहायक	23664124

(एनएसएल – **II**)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	एस0 टी0 अब्बास	सलाहकार	23210481 23664173
2	गीता जोशी	पीए	23664188
3	जयपाल सिंह तोमर	संयुक्त सलाहकार	23664115
4	ग्रुप कप्तान शाजी पुन्नोस	संयुक्त सलाहकार -I	23664251
5	रचना माथुर	उप सलाहकार	23664190
6	अशोक सिंह	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664174
7	सोनिया मदान	वरिष्ठ अनुसंधान	23664273

		अधिकारी	
8	ए0 एल0 रमेश	अनुभाग अधिकारी	23664657
9	प्रमोद कुमार	सहायक	23664523
10	सुश्री श्रीवल्ली	सहायक	23665269
11	ऋतु आनंद	आरए	23664192
12	हिमानी कंबोज	आरए	23664193

(बीबी एंड पीए) अनुभाग

क्रम संख्या	अधिकारी / कर्मचारी का नाम श्री / श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	देबकुमार चक्रवर्ती	प्रधान सलाहकार	
1	सुनील कुमार सिंघल	सलाहकार	23220209
2	भुवनेश्वर कुमार	निजी सचिव	23220209
3	कर्नल कपिल हांडा	संयुक्त सलाहकार	23664527
4	कर्नल भरत गुप्ता	संयुक्त सलाहकार	23664109
5	आलोक वोहरा	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664607
6	संजय कुमार	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664535
7	अश्विनी बत्रा	अनुभाग अधिकारी	23664509
8	अनिल कुमार कौशल	सहायक	23664663
9	वेद प्रकाश	सहायक	23664538
10	नीना कपूर	पीए	23664407
11	मोहित यादव	अनुसंधान सहयोगी	–
12	जसलीन कौर	अनुसंधान सहयोगी	23664559

(बी एंड सीएस) प्रभाग

क्रम संख्या	अधिकारी / कर्मचारी का नाम श्री / श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर

1	अरविंद कुमार	सलाहकार	23221509
2	रामचंद्र बिल्लाट	सलाहकार के वैयक्तिक सहायक	23221509
3	वी0 के0 अग्रवाल	संयुक्त सलाहकार	23664504
4	एस0 एम0 के0 चंद्रा	संयुक्त सलाहकार	23664222
5	गौरीशंकर केसरवानी	उप सलाहकार	23664508
6	शिवानी शर्मा	उप सलाहकार	23664
7	ए0 के0 मिश्रा	उप सलाहकार	
8	ज्ञान चंद टुटेजा	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664662
9	अनिल कुमार पाठक	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664415
10	सुमित हेमराजानी	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	
11	अपर्णा वत्स	तकनीकी अधिकारी	23664529
12	मनोज कुमार वर्मा	अनुभाग अधिकारी	23664488
13	एन0 एस0 रावत	अनुभाग अधिकारी	23664405
14	राकेश कुमार	सहायक	23664406
15	परवेश मलिक	सहायक	23664
16	अनिल कुमार	परिचर	--
17	कनिका जैन	अनुसंधान सहयोगी	23664275
18	अनिल विश्नोई	अनुसंधान सहयोगी	23664278
19	विनय यादव	अनुसंधान सहयोगी	23664571
20	मोहम्मद साकिर	अनुसंधान सहयोगी	23664571
21	प्रियंका आर0 दिवाकर	अनुसंधान सहयोगी	23664
22	विवेक कुमार	अनुसंधान सहयोगी	23664

विधिक

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	राजीव रंजन तिवारी	सलाहकार	23237024

2	डॉ0 नरसिंह राव	निजी सचिव	23237024
3	एस0 बी0 सिंह	संयुक्त सलाहकार	23664137
4	जितेंद्र कुमार मिश्रा	उप सलाहकार	23664321
5	रीवी जे0 जेकब	तकनीकी अधिकारी	23664136
6	जय कुमार	सहायक	23664575
7	रेशमा एस0 उस्मानी	सहायक	23664191
8	गणेश दत्त	सहायक	23664208
9	चंद्रबली	सहायक	23664135
10	रंजीता मनचंदा	वैयक्तिक सहयोगी	23664561
11	कनुप्रिया	अनुसंधान सहयोगी	23664613
12	शिउली भट्टाचार्य	अनुसंधान सहयोगी	23664558

(आईटी और सीए)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	सुनील वाजपेयी	प्रधान सलाहकार	23216930
2	आर0 के0 धवन	निजी सचिव	23216930

(आईटी और सीए)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	संजीव बांजल	सलाहकार (आईटी और सीए)	23210481
2	दिनेश कुमार	वैयक्तिक सहायक	23664272

आईटी और सीए

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	सुश्री अर्चना अहलावत	संयुक्त सलाहकार (आईटी)	23664610
2	राजीव जैन	संयुक्त सलाहकार (आईटी)	23664525
3	**विदीप कुमार**	वरिष्ठ अनुसंधान	23664661

	अंतीवाल	अधिकारी (आईटी)	
4	**संजय त्यागी**	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईटी)	23664120
5	**एस0 गणेश**	तकनीकी अधिकारी (आईटी)	23664606
6	**बेनी फ्रांसिस के0**	अनुभाग अधिकारी (आईटी)	23664556
7	**राजी जोजो टी0**	सहायक	23664531
8	**अरूणा सेठी**	वैयक्तिक सहायक	23664367

(सीए)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	**के0 चंद्र चूड़न**	संयुक्त सलाहकार	23664555
2	**कर्नल विजय शर्मा**	संयुक्त सलाहकार	23664253
3	**जी0 एस0 पंवार**	उप सलाहकार	23664524
4	**संजय कुमार**	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664231
5	**एस0 आर0 भास्कर**	अनुभाग अधिकारी	23664326
6	**सुशील कुमार बंसल**	अनुभाग अधिकारी	23664111
7	**सौरभ अग्रवाल**	सहायक	23664534

(सेवा गुणवत्ता)

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	असित काद्यान	सलाहकार (क्यूओएस)	23230404
2	मौलय मुखोपाध्याय	निजी सचिव	23216930
क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम श्री/ श्रीमती	पदनाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर

1	शाजी अब्राहम	संयुक्त सलाहकार	23215228
2	पवन कुमार गुप्ता	संयुक्त सलाहकार	
3	सुरेंद्र सिंह डूडी	उप सलाहकार	23664277
4	एस.एन. हाशमी	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664604
5	तृष्णा मंडल	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23664
6	जे.एल. मुखीजा	तकनीकी अधिकारी	23664605
7	विश्वास सक्सेना	अनुभाग अधिकारी	23222450
8	राजेन्द्र कुमार शर्मा	अनुभाग अधिकारी	23664311
9	मोहम्मद अतीक अनवर	सहायक	23664236
10	रितु गुसांई	सहायक	23664656
11	सुश्री संजना यादव	अनुसंधान सहयोगी (क्यूओएस)	23664
12	मुस्कान	अनुसंधान सहयोगी	23664
13	हेमंत	अनुसंधान सहयोगी	23664

(**x**) प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी और इसके कर्मचारी को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक सहित इसके विनियम में क्षतिपूर्ति हेतु उपबंधित तंत्र का ब्योरा

प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमान निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान (वेतन + ग्रेड पे)	संशोधित पे– मैट्रिक्स
1	**सचिव**	एचएजी रुपए 67000 तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि– 79000	स्तर– 15
2	**प्रधान सलाहकार**	एचएजी रुपए 67000 – तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि– 79000	स्तर– 15
3	**सलाहकार**	पे– बैंड 4-37400-67000+10000	स्तर– 14
4	**संयुक्त सलाहकार**	पे– बैंड 4-37400-67000 + 8700	स्तर– 13

5	**उप सलाहकार**	पे– बैंड 3-15600-39100 + 7600	स्तर– 12
6	**वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव**	पे– बैंड 3-15600-39100 + 7600	स्तर– 12
7	**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी**	पे– बैंड 3-15600-39100 + 6600	स्तर– 11
8	**प्रधान निजी सचिव**	पे– बैंड 3-15600-39100 + 6600	स्तर– 11
9	**तकनीकी अधिकारी**	पे– बैंड 3-15600-39100 + 5400	स्तर– 10
11	**अनुभाग अधिकारी**	पे– बैंड 2-9300-34800 + 4600	स्तर– 7
12	**निजी सचिव**	पे– बैंड 2-9300-34800 + 4600	स्तर– 7
13	**सहायक**	पे– बैंड 2-9300-34800 + 4200	स्तर– 6
14	**वैयक्तिक सहायक**	पे– बैंड -2 9300-34800 + 4200	स्तर– 6
15	**कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक**	पे– बैंड -2 9300-34800 + 4200	स्तर– 6
16	**अवर श्रेणी लिपिक**	पे– बैंड 1-5200-20200 + 1900	स्तर– 2
17	**ड्राइवर विशेष ग्रेड**	पे– बैंड -2 9300-34800 + 4200	स्तर– 6
18	**ड्राइवर ग्रेड I**	पे– बैंड 1-5200-20200 + 2800	स्तर– 5
19	**ड्राइवर ग्रेड II**	पे– बैंड 1-5200-20200 + 2400	स्तर– 4
20	**ड्राइवर साधारण ग्रेड**	पे– बैंड 1-5200-20200 + 1900	स्तर– 2
21	**पीसीएमओ**	पे– बैंड 1-5200-20200 + 1900	स्तर– 2
22	**सवार हरकारा**	पे– बैंड 1-5200-20200 + 1900	स्तर– 2
23	**परिचर**	पे– बैंड 1-5200-20200 + 1800	स्तर– 1

कुल पारिश्रमिक में सरकारी नियमों के अनुसार पे– बैंड में कुल पारिश्रमिक, ग्रेड पे, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि शामिल हैं।

*(**xiv**) प्राधिकरण के पास उपलब्ध, मौजूद, इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रखी गई जानकारी का ब्योरा*

भादूविप्रा के पास इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध अथवा मौजूद जानकारी भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

*(**xv**) जन उपयोग हेतु रखरखाव किए जा रहे ग्रंथालय अथवा वाचनालय के कार्य घंटे, यदि कोई हों तो, सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा*

नागरिक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्तियों, गुणवत्ता निष्पादन सूचकांकों, खुला मंच चर्चाओं और पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

*(**xvi**) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य ब्योरे*

जन सूचना अधिकारी तथा केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

(श्री एस0 के0 दत्ता)

संयुक्त सलाहकार (समन्वय) तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरु मार्ग, पुराना मिंटो रोड,
नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011– 23664503

(श्री आई0 जोसेफ मनोहरन)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समन्वय) तथा केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरु मार्ग, पुराना मिंटो रोड,
नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011– 23664220

अपीलीय प्राधिकारी

(श्री एस0 के0 मिश्रा)
प्रधान सलाहकार (एफएंडईए)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरु मार्ग, पुराना मिंटो रोड,
नई दिल्ली–110002
दूरभाष : 011– 23221856
टेलीफैक्स : 011– 23235249

*(**xvii**) विहित की गई कोई अन्य जानकारी*

कोई अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक नहीं समझी गई।

अनुलग्नक– क

प्राधिकरण